क्रम संख्या–182

पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2015–17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, बुधवार, 30 नवम्बर, 2016 ई0

अग्रहायण 09, 1938 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 347/XXXVI (3)/2016/53(1)/2016

देहरादून, 30 नवम्बर, 2016

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित **"उत्तराखण्ड कूड़ा फेंकना एवं थूकना प्रतिषेध विधेयक, 2016"** पर दिनांक 29 नवम्बर, 2016 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 23 वर्ष, 2016 के रूप में सर्व–साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड कूड़ा फैंकना एवं थूकना प्रतिषेध अधिनियम, 2016
(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 23, वर्ष 2016)

उत्तराखण्ड राज्य को स्वच्छ एवं प्रदूषण मुक्त रखने हेतु, कूड़ा कचरा, फेकना एवं थूकने को प्रतिबन्धित करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के सड़सठ्वें वर्ष में उत्तराखण्ड विधानसभा द्वारा निम्नवत रूप में अधिनियमित हो।

संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ :

1.(1) इस अधिनियम का नाम संक्षिप्त नाम ''उत्तराखण्ड कूड़ा फेकना एवं थूकना प्रतिषेध'' अधिनियम, 2016 है।
(2) यह अधिनियम राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा।
(3) यह अधिनियम उत्तराखण्ड राज्य में शहरी स्थानीय निकायों के अधिकारिता के अधीन सम्पूर्ण क्षेत्र में लागू होगा।

इस अधिनियम से असंगत विधियों का प्रभाव :

2. इस अधिनियम के उपबन्ध किसी अन्य विधि में अन्तर्दिष्ट किसी बात के असंगत होते हुए भी प्रभावी होंगे;

परिभाषाएं :

3. इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो: –
(क) ''प्राधिकृत अधिकारी'' से नगर निकाय के कार्य पालक अधिकारी, स्वास्थ्य/चिकित्सा अधिकारी, मुख्य सफाई निरीक्षक, सफाई निरीक्षक, उत्तराखण्ड पुलिस का अधिकारी जो निरीक्षक से नीचे की श्रेणी का न हो, राजस्व अधिकारी, जो राजस्व निरीक्षक से नीचे की श्रेणी का न हो, या अपनी अधिकारिता के अधीन क्षेत्र हेतु जिलाधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी अभिप्रेत है;
(ख) ''भवन'' से कोई इमारत, परिसर, मकान, झोंपड़ी, स्टॉल, छतयुक्त अहाता चाहे इसका उपयोग मानवीय आवास हेतु होता हो या अन्यथा, तथा साथ ही कोई दीवार, बाड़ा, मंच, मचान, गेट, डाक, स्तंभ, अहाता, सेतु या पूर्वगामी से संबंधित कोई संरचना, समर्थन या नींव इत्यादि अभिप्रेत है;

(ग) "सामुदायिक सेवा" से सफाई करना, झाड़ू लगाना, कूड़ा एकत्र करना, दीवारों से अभिरोखण की सफाई या सामुदायिक सेवा के रूप में शहरी स्थानीय निकाय द्वारा अधिसूचित कोई अन्य कार्य अभिप्रेत है;

(घ) "उद्यान अपदूषण" से उद्यान या कृषि कार्यों से उत्तसर्जित कोई अपशिष्ट अभिप्रेत है;

(ङ) "कूड़ा" से धूल, मिट्टी, बजरी, शव, पत्थर, सीमेन्ट, कागज, पशु शव, अवशिष्ट, पत्तियां और टहनियां, घास, तिनके, बक्से, नाल, गांठें, कतरनें, बुरादा, अस्तबल अवशिष्ट, व्यवसाय अवशिष्ट, खाद, अवकर, बोतलें, शीशा, टीन, खाने के डिब्बे, खाने के रैपर, खाद्य कण या अन्य वस्तुएं या सामग्रियां सम्मिलित हैं। इसमें खुले में पालतू पशुओं या मानवों द्वारा मूत्र या मल त्याग करना भी सम्मिलित होगा ;

(च) "अध्यासी" से परिसर के वास्तविक कब्जाधारी या इसका प्रभार, प्रबंधन, नियंत्रण रखने वाला व्यक्ति तथा संपत्ति के उपविभाजित या विभिन्न किरायेदारों या ठहरने वालों को किराये पर दिये जाने के मामले में वह व्यक्ति जो तत्समय किरायेदारों या ठहरने वालों से देय किराया प्राप्त कर रहा है, चाहे वह स्वयं के हिसाब में हो या इसके लिये अधिकृत या इसमें हित रखने वाले व्यक्ति के प्रतिनिधि के रूप में सम्मिलित अभिप्रेत हैं ;

(छ) "स्वामी" से उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916, (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) तथा उ.प्र. नगर निगम अधिनियम, 1959 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) समनुदिष्ट किया गया तथा इसमें तत्समय के लिये किसी भवन या परिसर का अध्यासी भी सम्मिलित है ;

(ज) "परिसर" से ऐसी भूमि अभिप्रेत है जो किसी एकल भवन से अथवा अनेक भवनों से साझा रूप से लगी हुई हो अथवा नहीं ;

(झ) "सार्वजनिक स्थल" से प्रत्येक सार्वजनिक राजमार्ग, सड़क मार्ग, पहाड़ी दिशा, नाली, जलमार्ग, उप–मार्ग, सेतु, चौराहा, प्रांगण, गली, संकरी गली या रास्ता पैदल, पैदल मार्ग, पगडंडी, परेड, सार्वजनिक पार्क/उद्यान या खुला स्थान, (संलग्न या असंलग्न) भवन या परिसर, प्रत्येक थियेटर किसी प्रकार के सार्वजनिक मनोरंजन स्थल या सार्वजनिक आश्रय स्थल जहां प्रवेश भुगतान द्वारा अथवा उसके बिना हो सम्मिलित हैं ;

(ञ) "थूकना" से कुछ चबाने के पश्चात् या बिना चबाये थूक को स्वेच्छा से बाहर फेंकना, गले से बलगम

निकालना, नसवार सूंघने या बिना सूंघे नाक से घ्राण/बलगम निकालना, अभिप्रेत है ;

(ट) "अस्तबल अपदूषण" से घोड़ो, मवेशियों, भेड़ों, बकरियों तथा भैंसों, सूअरों, मुर्गियों, या अन्य पालतू पशुओं का मल और मूत्र तथा घोड़ों, मवेशियों, भेड़ों, बकरियों, भैंसों, सूअरों, मुर्गियों या अन्य पालतू पशुओं को रखने के लिये बनाये गये किन्हीं अस्तबलों या छप्पर से प्रवाहित अपशिष्ट अभिप्रेत है ;

(ठ) "सड़क" से किसी रास्ते, चौराहे, पगडंडी, वापसी गली, गलियारा या गुजरगाह जिससे जनता आ जा सके एवं किसी सार्वजनिक पुल के ऊपर, इसमें भी सम्मिलित है– मार्ग, राज़मार्ग, गली खुला मैदान, प्रांगण, उढयानपथ या ऐसी खाली जागीर जिसे सार्वजनिक इस्तेमाल में भले न लाया जा सके, नाले, नालियां, गढे, खाई, जलग्रीवा एवं सड़क किनारे के खाली स्थल आदि अभिप्रेत है ;

(ड) "व्यवसायिक अपदूषण" से किसी व्यवसाय उत्पादन या व्यापार, उद्योग या भवन प्रचालन का अपशिष्ट/अवशिष्ट पदार्थ अभिप्रेत है ;

अधिनियम के अधीन शास्ति एवं अपराध :

4. कोई भी व्यक्ति जो–

(क) किसी सार्वजनिक स्थल पर कूड़ा रखता है, जमा करता है अथवा फेंकता है या रखने की अनुमति देता है ;

(ख) सार्वजनिक स्थल पर कोई खाद्य पदार्थ या अन्य पदार्थ या वस्तु सुखाता है या दूषित करता है ;

(ग) किसी सार्वजनिक स्थल पर कोई रक्त, लवण–जल फेंकता है, रखता है या इस तरह से कोई हानिकारक द्रव्य या अन्य किसी प्रकार का अस्वास्थ्यकर मैला सार्वजनिक स्थल पर छलकाता है, गिराता/फैलाता है;

(घ) किसी सार्वजनिक स्थल पर धूल, रेत, मिट्टी, कंकड़, पत्थर, घास, तिनके, कतरनें, बुरादा, राख, उद्यान अपदूषण, व्यवसायिक अपदूषण, खाद, कचरा या कोई अन्य वस्तु या पदार्थ चाहे किसी चलते हुए या खड़े वाहन से गिराता है, छलकाता है या बिखेरता है;

(ङ) कोई चूना, राख, रेत, कोयला, बाल, रद्दी कागज, पंख या किन्हीं अन्य पदार्थों को इस प्रकार छाने, हिलाये या साफ करे जिससे कि वह हवा के माध्यम से किसी सार्वजनिक स्थल तक पहुँच जाये या जिसके पहुँचने की संभावना रहे;

(च) किसी सार्वजनिक स्थल पर बोतल, ग्लास, डिब्बा, रैपर, खाद्य आवरण या अन्य वस्तुएं छोड़ना अथवा फेंकना इत्यादि;

(छ) किसी भवन निर्माण, परिवर्तन, गिराने या परिनिर्माण के दौरान या किसी भी अन्य कारणों से किसी सार्वजनिक स्थल पर बिना पूर्वानुमति के कोई पत्थर, सीमेन्ट, मिट्टी, रेत, लकड़ी या अन्य भवन सामग्री, वस्तु या पदार्थ जमा करता है, गिराता है अथवा छोड़ता है, जिससे किसी मार्ग का अवरूद्ध होना या जिसके कारण धूल, दुर्गन्ध या अपशिष्ठ पदार्थों के कणों से या कोई अन्य सामग्री से अड़ौस–पडौस के वातावरण पर उसका दुष्प्रभाव पड़े अथवा जनमानस के स्वास्थ्य, सुख एवं दैनिक जीवन के खतरे को दूर करने हेतु आवश्यक/उचित सावधानियां बरतने में नाकाम/विफल रहना इत्यादि ;

(ज) सार्वजनिक स्थल पर कोई अनुपयुक्त वाहन, पानी की टंकी, सीमेन्ट मिक्सर या कोई अन्य अनुपयुक्त वस्तु या रद्दी, धातु रखता है या जमा करता है अथवा रखने या जमा करने देता है;

(झ) सार्वजनिक स्थल पर थूकता है, तो ऐसे कृत्य इस अधिनियम के तहत एक अपराधिक कृत्य होंगे।

हटाने को आदेश

5. (1) शहरी स्थानीय निकाय का प्राधिकृत अधिकारी किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को जो किसी भी सार्वजनिक स्थल पर गंदगी फैलाने, कूड़ा– वाहन–रद्दी–मलबा इत्यादि को फेंकते या डालते पाया जाता है, को उक्त अपशिष्ट/सामग्री को उसके उचित रखाव स्थल पर स्थानान्तरित करने का आदेश दे सकता है।

(2) जहां शहरी स्थानीय निकाय के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निर्देश दिये जाने के पश्चात् भी यदि संदिग्ध व्यक्ति उस कूड़े, अनुपयुक्त/अनुपयोगी वाहन, अनुपयुक्त/अनुपयोगी वस्तु को हटाता नहीं है, तो ऐसे में स्थानीय निकाय उसे स्वयं हटवा कर उचित स्थान पर स्थानान्तरित करवायेगा तथा इस पर उपगत व्यय उस व्यक्ति से भू–राजस्व के बकाया राशि के रूप में वसूला जा सकेगा।

अपराधी के संबंधों का पूर्वानुमानः

6. धारा 4 के अधीन किये गये अपराधों के लिये वाहन चालक और वाहन स्वामी को अपराधी तब तक नहीं माना जायेगा जब तक कि अपराध प्रतिकूल साबित नहीं कर दिया जाता।

भूमि अथवा भवन के अध्यासी का उत्तरदायित्वः

7. यह कि इस अधिनियम में परिभाषित कोई धूल या अन्य पदार्थ, मलबा किसी भवन, भूमि या सार्वजनिक स्थल पर जमा किया गया है, या कोई पानी या अरूचिकर तत्व किसी सड़क या नाली में डाला, फेंका या बहाया गया है तो इस अधिनियम के उल्लंघन के तहत ऐसा कृत्य उस भवन या, भूमि के अध्यासी द्वारा या उसकी अनुमति से किया गया है, समझा जायेगा।

अध्यासी द्वारा पैदल मार्ग, पृष्ठ भाग और निजी सड़क को स्वच्छ रखा जानाः

8. (1) किसी परिसर का स्वामी अपने परिसर के आसपास के क्षेत्र जिसमें साथ लगे पैदल मार्ग, पृष्ठ भाग सम्मिलित हैं, की सफाई करवायेगा और उन्हें स्वच्छ रखेगा।

(2) किसी निजी सड़क से लगे परिसर का स्वामी या अध्सायी अपने परिसर के सामने या साथ लगे सड़क के मध्य भाग तक सफाई करवायेगा।

दंड :

9.(1) कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम का उल्लंघन या अपराध करते हुये पाया जाता है और दोष सिद्ध होने पर अधिकतम पांच हजार रूपये तक के अर्थदण्ड या अधिकतम छः माह की अवधि हेतु कारावास या **दोनों साथ** के लिये भागी होगा।

(2) निरंतर अपराध किये जाने की स्थिति में रूपये पांच सौ प्रतिदिन के हिसाब से अतिरिक्त अर्थदण्ड अपराध जारी रखने की अवधि तक देना होगा।

(3) इसके अतिरिक्त उपधारा (1) में उपबंधित दंड के स्थान पर इस अधिनियम के किसी उल्लंघन के फलस्वरूप या किसी व्यक्ति द्वारा निष्पादित किये जाने वाले और उसके द्वारा निष्पादित किये गये, इस अधिनियम के अधीन निर्देशित किसी कार्य के निष्पादन में, चाहे वह शहरी स्थानीय निकाय द्वारा किया गया हो या किसी ठेकेदार द्वारा, शहरी स्थानीय निकाय द्वारा उपगत व्यय और उसके साथ व्ययों का अधिकतम दस प्रतिशत अधिभार का भुगतान, नियम भंग या उस कार्य को निष्पादित न करने वाले व्यक्ति को करना होगा। जिसकी वसूली भू राजस्व के बकाया के रूप में की जायेगी।

अपराधों का शमनः

10. (1) प्राधिकृत अधिकारी, अपने प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट समय के भीतर न्यूनतम दो सौ रूपये व अधिकतम पांच सौ रूपये की राशि स्थानीय निकाय/प्राधिकृत अधिकारी को भुगतान कर अपराध के शमन हेतु, युक्तियुक्त रूप से संदिग्ध व्यक्ति को लिखित प्रस्ताव देकर उस व्यक्ति द्वारा किये गये, शमन योग्य निर्धारित अपराध का शमन कर सकेगा।

(2) यदि कोई व्यक्ति शमन की राशि का भुगतान करने में असमर्थ है तो वह शमन राशि के बदले स्थानीय निकाय में सामुदायिक सेवा प्रदान किये जाने हेतु अपना नामांकन करवा सकता है।

(3) उपधारा (1) के अधीन प्रस्ताव, अपराध किये जाने के पश्चात् कभी भी किन्तु इसके लिये अभियोग चलाये जाने से पहले किया जायेगा तथा यदि प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट राशि का भुगतान नहीं किया जाता है या प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट अवधि या ऐसी विनिर्दिष्ट अवधि जो कि शहरी स्थानीय निकाय प्रदान करे, के भीतर सामुदायिक सेवा नहीं की जाती है तो इसके पश्चात् ऐसे व्यक्ति, जिसको प्रस्ताव दिया गया था, के विरूद्ध किसी भी समय अपराध के लिये अभियोग चलाया जा सकेगा।

(4) यदि उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध का शमन किया गया है तो उसके पश्चात् अपराध के संबंध में उस व्यक्ति जिसको शमन का प्रस्ताव दिया गया हो, के विरूद्ध कोई अभियोग नहीं चलाया जायेगा।

(5) शमन हेतु प्रस्ताव ऐसे प्रारूप में होगा जैसा कि नियमों के अधीन विनिर्दिष्ट हो।

गिरफ्तारी की शक्ति

11. (1) कोई प्राधिकृत अधिकारी किसी भी ऐसे व्यक्ति को निरूद्ध कर सकता है और पुलिस की सहायता से गिरफ्तार कर सकता है जो उसकी उपस्थिति में अपराध करते हुये या जिसके संबंध में वह युक्तियुक्त रूप से विश्वास रखता है कि उसने अधिनियम के अधीन अपराध किया है।

(क) यदि उस व्यक्ति का नाम और पता उसे ज्ञात नहीं और वह व्यक्ति अपना नाम और पता बताने से इन्कार करता है; या

(ख) उसके नाम और पते के सही होने के संबंध में संदेह होने का कारण है।

(2) इस अधिनियम के अधीन गिरफ्तार किये गये व्यक्ति को निरूद्ध रखा जायेगा और चौबीस घंटे के भीतर उसे कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जायेगा जब तक कि उस का सही नाम और पता निर्धारित न हो जाये।

संज्ञान लेने और अपराध विचारण हेतु न्यायालय सक्षमः

12. (1) प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट से अन्यथा कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन अपराध का संज्ञान नहीं लेगा और अपराध का विचारण नहीं करेगा।

(2) कोई न्यायालय एक प्राधिकृत अधिकारी की लिखित शिकायत के बिना किसी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा।

अधिनियम के अपराध असंज्ञेय और जमानतीय होंगे:

13. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी बात के समावेशित होते हुए भी इस अधिनियम की धारा 3 के अपराध असंज्ञेय और जमानतीय होंगे।

अपराधों का संक्षिप्त विचारण:

14. इस अधिनियम के अधीन सभी अपराधों का दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अधीन संक्षिप्त विचारण हेतु उपबंधित तरीके से संक्षिप्त विचारण होगा।

राज्य सरकार की नियम और विनियम बनाने की शक्ति :

15. राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी बनाने के प्रयोजनार्थ नियम और विनियम बना सकेगी।

आज्ञा से,

रमेश चन्द्र खुल्वे,
प्रमुख सचिव।